न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
43/2024	23.4.2024	05/5/2026

लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. अरूणा देवी पत्नि सुरेशचन्द सिंघल,महाजन, शीतलामाता रोड, गंगापुर
2. गीतादेवी पत्नि नन्नूसिंह, जाति राजपूत निवासी गंगापुर सिटी
3. गोपालसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी गंगापुर सिटी
4. गोविन्दसिंह पुत्र दिलिपसिंह जाति राजपूत निवासी गंगापुर सिटी
5. लक्ष्मणसिंह पुत्र दिलिपसिंह जाति राजपूत निवासी गंगापुर सिटी
6. बनवारी लाल तुलारा पुत्र श्यामलाल तुलारा जाति महाजन निवासी पुरानी अनाज मंडी, गंगापुर सिटी
7. विजयश्री पत्नि गोपीनाथ शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी धन्वन्तरी नगर, नहर रोड गंगापुर सिटी
8. उप पंजीयक गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी सं0 4 की ओर से
राजकीय पैरोकार।

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र 177 आर0टी0एक्ट लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम उदेईकलां में स्थित भूमि ख0नं0 4997 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 8118/4997 रकबा 0.24 है0 अरूणा देवी, गीतादेवी, गोपालसिंह, गोविन्दसिंह, लक्ष्मणसिंह, बनवारीलाल, विजयश्री की खातेदारी में दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त आराजियात में अप्रार्थीगण ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि से भिन्न कार्य में इसे उपयोग में लिया है जो अवैधानिक है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण भूमि को सिवायचक घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम उदेईकलां में स्थित भूमि ख0नं0 4997 रकबा 0.31 है0 तथा ख0नं0 8118/4997 रकबा 0.24 है0 को कब्जा राज में लिया जावे एवं अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर भूमि को सिवायचक किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076, मूल रिपोर्ट पटवारी दिनांक 13.3.2024 प्रस्तुत की है।

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की तलवी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

अप्रार्थी संख्या 4 गोविन्द सिंह पुत्र श्री दिलिप सिंह राजपूत मय अभिभाषक उपस्थित हुए।

अप्रार्थी संख्या 4 ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। भूमि खाली पडी हुई है। भूमि विकास के लिए खाद बीज रखने, कृषि यंत्रो को रखने के लिए अप्रार्थीगण पुख्ता निर्माण करना चाहते थे लेकिन पटवारी हलका द्वारा मौके पर जाकर कार्य रूकवा दिया गया उसके बाद अप्रार्थीगण ने कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। यदि अप्रार्थीगण कोई निर्माण कार्य करेंगे तो भूमि की किस्म परिवर्तित करवाने के बाद ही निर्माण कार्य करेंगे । प्रकरण में अप्रार्थी गोपालसिंह, लक्ष्मणसिंह करीब 8–10 साल पूर्व ही मर चुके हैं। मृत व्यक्तियों के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज होने योग्य है।

इस प्रार्थना पत्र का प्रार्थी लैण्ड होल्डर की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4 एवं राजकीय पैरोकार सुनी गई।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 व 8 करीब 8–10 साल पहले ही फौत हो चुके हैं एवं प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो नियम विरूद्ध है इसलिए प्रार्थी लैण्ड होल्डर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 177 आर0टी0एक्ट खारिज फरमाया जावे।

राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस में अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का विरोध करते हुए यह प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 के अनुसार भूमि ख0नं0 4997 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 8118/4997 रकबा 0.24 है0 ग्राम उदेईकलां अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की मृत्यु 8–10 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है एवं इस तथ्य का लैण्ड होल्डर ने कोई जबाब भी प्रस्तुत नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की मृत्यु हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी थी ऐसी स्थिति में प्रार्थी लैण्ड होल्डर द्वारा मृतक अप्रार्थी संख्या 3 व 5 के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो नियमानुसार चलने योग्य नहीं है। फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर इस्तगास करण संख्या 43/2024 में कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप की जाती है, इसी आधार पर प्रकरण संख्या 36/2024 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में भी कार्यवाही ड्रोप की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 36/2024 में दिनांक 23.4.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वापस लिया जाता है। प्रकरण में लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित प्रकरण में मृतक अप्रार्थी संख्या 3 व 5 के वारिसों की जांच कर उन्हें पक्षकार बनाते हुए पुनः नये सिरे से कार्यवाही करे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)